प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
सरयू नहर खण्ड–नानपारा,
बहराइच।

सेवा मे,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक : /स0न0ख0ना0/ नीलामी, दिनांक –

विषय :– घास–फूस की नीलामी सूचना सं0–01/ अधि0अभि0, सनखना/2018–19 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय की नीलामी सूचना संख्या–01/अधि0अभि0, सनखना/नीलामी, 2018–19 की 06 प्रतियां (सी0डी0सहित) अपरिहार्य कारणोंवश पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त नीलामी सूचना का प्रकाशन निम्नलिखित समाचार पत्रों में दो दिनों के अन्तराल में प्रकाशन कराने तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	समाचार पत्र का नाम	विज्ञापन सम्बन्धी स्थान	विज्ञापन चक्र	तिथियाँ
01	दैनिक हिन्दुस्तान हिन्दी	बहराइच	दो बार	––
02	दैनिक जागरण हिन्दी	बहराइच	दो बार	––
03	अमर उजाला हिन्दी	बहराइच	दो बार	––

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार नीलामी सूचना
06 प्रतियों मे सी0डी0 सहित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–नानपारा
बहराइच

पत्रांक : /स0न0ख0ना0/नीलामी/ तदिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता, (सरयू परि0प्रथम/द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, फैजाबाद/गोण्डा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल–बहराइच।
4. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सी0डी0 सहित सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–1,3,4,5,7 एवं सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बहराइच।
6. अधिशासी अभियन्ता–सरयू नहर खण्ड–6, श्रावस्ती।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच /नानपारा, वन प्रभाग–बहराइच को इस आशय से प्रेषित है कि सरपत नीलामी में आप स्वयं/अपने द्वारा नामित प्रतिनिधि को भेजने का कष्ट करें।
8. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–प्रथम नानपारा, बहराइच।
9. सहायक अभियन्ता, 1, 2, 3, 4 एवं 5 सरयू नहर खण्ड, नानपारा।
10. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
11. उपजिलाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक, नानपारा/मिहीपुरवा, मोतीपुर–बहराइच
12. अध्यक्ष, सिंचाई ठेकेदार संघ, कल्पीपारा कालोनी, बहराइच/नानपारा।
13. उपाध्यक्ष, सिंचाई बन्धु–बहराइच।
14. जिलेदार, सरयू नहर खण्ड–नानपारा।
15. वास्ते नोटिस बोर्ड खण्डीय कार्यालय/चौधरी चरण सिंह सरयू बैराज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–नानपारा
बहराइच

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–नानपारा
बहराइच

<u>नीलामी सूचना संख्या–01/अधि0अभि0, स0न0ख0ना0/2018–19</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरयू मुख्य नहर के किमी0 0.000 से 63.150 तक के निम्नलिखित रीचों के दोनों बैंकों के तरफ घास–फूस की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 12.12.2018 दिन बुधवार को अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सायं 01:00 बजे सरयूपुरी कालोनी नं0 2, नानपारा में खण्डीय कार्यालय के प्रांगण में की जायेगी। नीलामी में बोली बोलने वाले व्यक्तियों को निर्धारित धरोहर धनराशि नगद जमा करना अनिवार्य होगा।

नीलामी के पूर्व इश्तहार नीलामी में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जायेगा जिसकी शर्तें बोली बोलने वालों को मान्य होगी।

अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा बिना कारण बताये किसी भी लाट की नीलामी निरस्त की जा सकती है। सरपत (मूजा) की नीलामी वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों को बिना क्षति पहुंचाए कटाई करने का अधिकार दिया जा सकेगा। पेड़ों के नुकसान होने पर सम्बन्धित क्रेता से जुर्माना के साथ वसूल किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। नीलामी की शर्तें नीलामी तिथि से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एवं चौधरी चरण सिंह सरयू बैराज स्थल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देख सकते हैं।

लाट संख्या	रीच	धरोहर धनराशि (रू0 में)
1	सरयू मुख्य नहर के किमी0 0.000 से 9.400 तक।	2000.00
2	सरयू मुख्य नहर के किमी0 9.400 से 15.000 तक।	2000.00
3	सरयू मुख्य नहर के किमी0 15.000 से 16.000 तक।	2000.00
4	सरयू मुख्य नहर के किमी0 16.000 से 18.000 तक।	2000.00
5	सरयू मुख्य नहर के किमी0 18.000 से 19.000 तक।	2000.00
6	सरयू मुख्य नहर के किमी0 19.000 से 20.000 तक।	2000.00
7	सरयू मुख्य नहर के किमी0 20.000 से 22.700 तक।	2000.00
8	सरयू मुख्य नहर के किमी0 22.700 से 24.000 तक।	2000.00
9	सरयू मुख्य नहर के किमी0 24.000 से 25.000 तक।	2000.00
10	सरयू मुख्य नहर के किमी0 25.000 से 33.000 तक।	2000.00
11	सरयू मुख्य नहर के किमी0 33.000 से 38.500 तक।	2000.00
12	सरयू मुख्य नहर के किमी0 38.500 से 39.000 तक।	2000.00
13	सरयू मुख्य नहर के किमी0 39.000 से 40.000 तक।	2000.00
14	सरयू मुख्य नहर के किमी0 40.000 से 43.000 तक।	2000.00
15	सरयू मुख्य नहर के किमी0 43.000 से 47.000 तक।	2000.00
16	सरयू मुख्य नहर के किमी0 47.000 से 53.000 तक।	2000.00
17	सरयू मुख्य नहर के किमी0 53.000 से 59.000 तक।	2000.00
18	सरयू मुख्य नहर के किमी0 59.000 से 63.000 तक।	2000.00

<u>नीलामी सम्बन्धी शर्तें :–</u>

1. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही घास–फूस काटने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. नीलामी की विवरण सिंचाई विभाग की वेबसाइट <u>www.idup.gov.in</u> से प्राप्त किया जा सकता है।
3. अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये समस्त लाट की नीलामी निरस्त कर सकता है।

4. नीलामी की बोली बोलने वाले को तभी अनुमति होगी जबकि उसके द्वारा सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जमा कर दी जायेगी। यदि बोली बोलीदाता के पक्ष में नही आती है तो बोली समाप्ति के बाद धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी उच्च बोली दाता के पक्ष में स्वीकार की जायेगी।
6. घास–फूस काटते समय राजकीय सम्पत्ति का नुकसान होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. अनुमोदन दिनांक से घास–फूस काटने का अधिकार दिनांक 30.04.2019 तक होगा।
8. किसी प्रकार का विवाद होने पर निर्णय करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–नानपारा का होगा।
9. विभाग के जनहित में यह नीलामी किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
10. नीलामी समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की क्षति का प्रतिकर विभाग द्वारा देय नही होगा।
11. नीलामी की निर्धारित तिथि को किसी कारण अवकाश घोषित हो जाने पर नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में पूर्व निर्धारित समयानुसार सम्पन्न होगी।
12. नीलामी में अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को प्रति एक हजार रूपये पर 125.00 स्टाम्प ड्यूटी नीलामी के तीन दिवस के अन्दर देनी होगी।
13. नीलामी की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोली बोलने वाले को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तीन दिवस के अन्दर जमा करना होगा। ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अधोहस्ताक्षरी/खण्डीय कार्यालय के पटल सहायक/जिलेदारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है, यह माना जायेगा कि बोलीदाता नीलामी सम्बन्धी समस्त नियमों/शर्तों को भलीभाँति जानता है।
15. वन विभाग द्वारा किया गया तार की बाउन्ड्री वाल के अन्दर छोड़कर बाहर लगे घास–फूस काटने का अधिकार होगा।
16. उक्त नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र बहराइच सदर होगा।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड–नानपारा
बहराइच